2025/381

निर्णय 10.6.2025

# फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

राधेश्याम बनाम आशीदेवी आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 269 वर्ष 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 02.06.2025 | वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.06.2025 को पेश हो। | राधेश्याम वादी |
| 6.6.2025 नीनिआप सन्तोष सोनु | वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र सिवाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। बकुलाए फरीकेन उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी का 1 ला 20 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली वास्ते बहस आईन्दा तारीख 10.6.2025 को पेश हो। | आशिया प्रतिवादी का. 1 हजु मी 4 सम्मन |
| 10.6.2025 | बकुलाए फरीकेन उपस्थित। बहस पक्षी-गणी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड और वादी-प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय [illegible] के लिखाया जाकर शामिल [illegible] किये जावे। पत्रावली [illegible] जाकर बाद तस्दीक तक [illegible] जाकर दाखिल दफ्तर हो। | भजन लाल माणी देवी सुसीला रोशनी [illegible] रोशन कुमार जगदीश प्रसाद राजी |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:23:58 IST
Reason: SelfAttested